सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 14.04.2021

थाना मनकापुर ने अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री मे संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में दिनांक 13.04.2021 को थाना मनकापुर के उ0नि0 महेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त साधू सरन पुत्र रामदीन निवासी कटघरवा मौजा उपाध्यायपुर ग्रण्ट थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोंडा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 350 टेबलेट अल्प्रासेफ/अल्प्राजोलम बरामद की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मनकापुर में एन0डी0पी0एस0 एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. साधू सरन पुत्र रामदीन निवासी कटघरवा मौजा उपाध्यायपुर ग्रण्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–120/21, धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 350 टेबलेट अल्प्रासेफ/अल्प्राजोलम।

गिरफ्तार कर्ता–

उ०नि० महेन्द्र प्रताप सिंह मय टीम।